

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE -EXTRAORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF EDUCATION)  
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

**ORDER**

NO. F/DE/15/1031/ACT/2013/2096 - 3007 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following order to further amend the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-Primary class) Order, 2007 as amended up to date, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-Primary classes) (Second Amendment) Order, 2013.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-Primary class) Order, 2007 as amended up to date, -

(a) in clause 14 (b),-

(i) in sub-clause (ii), after the word "wards", the following words and brackets shall be inserted, -

"(shall include grand children also)";

(ii) in sub-clause (iii), for the number "6", the number "8" shall be substituted;

(iii) in sub-clause (iv), in the table, in column no. 2 against serial no. 1, for the number "6", the number "8" shall be substituted;

(b) in clause 14 (e), for the number "6", the number "8" shall be substituted.

**By order and in the name  
of the Lt. Governor of the  
National Capital Territory  
of Delhi,**

  
27.12.13


(Dr. MADHU RANI TEOTIA, IAS)  
ADDITIONAL SECRETARY (EDUCATION)

No.F/DE/15/1031/ACT/2013/ 2096 - 3007

Dated: 27/12/2013

Copy to :-

1. Pr. Secretary to Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.
2. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
3. Pr. Secretary (Education), GNCT of Delhi.
4. Director (Education), Dte. of Education, GNCT of Delhi.
5. Directors (Education), North, South and East MCD.
6. Director (Education), New Delhi Municipal Council.
7. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.
8. Director, Directorate of Information and Publicity, GNCT of Delhi.
9. All Special/Addl. Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs, Dte. of Education, GNCT of Delhi.
10. All Branch Incharges, Dte. of Education, GNCT of Delhi.
11. OS (IT) with directions to place it on the website of Directorate of Education.
12. Guard file.



27.12.13

(Dr. MADHU RANI TEOTIA, IAS)  
ADDITIONAL SECRETARY (EDUCATION)

(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
शिक्षा निदेशालय  
पुराना सचिवालय, नई दिल्ली –110054

संख्या एफ/डी.ई.15(1031)अधिनियम/2013/2096-3007

दिनांक : 27/12/13

आदेश

संख्या एफ/डी.ई.15(1031)अधिनियम/2013/2096-3007 दिनांक 27 दिसम्बर 2013 :-  
दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के नियम 43 सहपठित दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) आदेश, 2007, यथा संशोधित, में निम्न संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) इन नियमों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय ( पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

2. निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) आदेश, 2007, यथा संशोधित, में, -

(क) उपखण्ड 14(ख) में,-


- (i) उपखण्ड (ii) में, शब्द 'बच्चों' के पश्चात् निम्न शब्दों व कोष्ठको को जोड़ा जाता है,-

“(प्रपौत्र/प्रपौत्री भी सम्मिलित)”;

- (ii) उपखण्ड (iii) में, अंक '6' के स्थान पर अंक '8' स्थानातिरंत किया जाता है;
- (iii) उपखण्ड (iv) में, तालिका के कॉलम संख्या 2 जोकि क्रम संख्या 1 के विपरीत है, में अंक '6' के स्थान पर अंक '8' स्थानातिरंत किया जाता है;

(ख) उपखण्ड 14(ड) में, अंक '6' के स्थान पर अंक '8' स्थानातिरंत किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

  
27.12.13

(डॉ० मधु रानी तेवतिया)  
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

संख्या डी.ई.15(1031)अधिनियम/2013/2096-3007

दिनांक : 27/12/13

**प्रतिलिपि :**

1. प्रधान सचिव (उपराज्यपाल दिल्ली) दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
2. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव (शिक्षा) दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
4. निदेशक (शिक्षा) दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
5. निदेशक (शिक्षा), उत्तर/दक्षिण/पूर्वी दिल्ली नगर निगम ।
6. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ।
7. निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड ।
9. सभी विशेष/अपर निदेशक/आर डी ई/जे डी ई/डी डी ई/ए डी ई, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
10. सभी शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
11. कार्यालय अधीक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट में डालने के अनुरोध सहित ।
12. गार्ड फाइल ।

मधु रानी तेवतिया  
27-12-13

(डॉ० मधु रानी तेवतिया)  
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)